वित्त लेखे, संघ सरकार FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां No.4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार, उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा तय करे, गारंटियां दे सकती है। सरकारी कम्पनियों / निगमों, रेलवे, संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं आदि की ओर से (i) उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी, (iii) उधार आदि के आधार पर सामग्री तथा उपस्कर की पूर्ति के लिए करारों के संबंध में अदायगी के लिए संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार यहां इस विवरण में दर्शाया गया है। ये गारंटियां भारत की समेकित निधि की आकस्मिक देयताएं होती हैं।

Under article 292 of the Constitution, the Union Government may give guarantees within such limits, if any, as may be fixed by Parliament by law. The statement here shows the position, as on 31st March 2021, of guarantees given by the Union Government for (i) repayment of borrowings and payment of interest thereon, (ii) repayment of share capital and payment of minimum dividend, (iii) payment against agreements for supplies of materials and equipment on credit basis, etc., on behalf of Government companies/corporations, Railways, Union Territories, State Governments, local bodies, joint stock companies, co-operative institutions etc. These guarantees constitute a contingent liability on the Consolidated Fund of India.

गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किए हैं और 31 मार्च, 2021 को गारंटीकृत बकाया राशियां क्रमशः लगभग ₹533589.97 करोड़ और ₹497598.76 करोड़ थीं। The maximum amount of guarantee for which Government have entered into agreements, and sums guaranteed outstanding on 31st March 2021 were ₹533589.97 crores and ₹497598.76 crores approximately, respectively.

गारंटियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मंत्रालय/विभागवार विवरण नीचे दिए गए हैं:— The Ministry/Department-wise details under different categories of guarantees are given below:—

भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पुंजी प्रदान करने हेतू दी गई गारंटियां।

Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

सं. 4–संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां–*जारी*

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT-Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के मांगी राधि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंट कमीश अथवा प	ा न	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other	Involution duri	ng	Outstanding at the end of the year	Guarai Commis or Fe	ssion	Other material details
	year	·		than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	, and the second	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11 रुपयों में) of rupees)
कृषि और किसान कल्याण म MINISTRY OF AGRICUL AND FARMERS WELFA कृषि, सहकारिता और किसान	TURE RE —									
Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare वित्त मंत्रालय — MINISTRY OF FINANCE वित्तीय सेवाएँ विभाग	(6)	40512.83 (6)	_	0.83	_	_	40512.00 (6)	@	@	_
Department of Financial Services राजस्व विभाग	27777.44 (64)	23480.00 (41)	*4297.44 (23)	662.12	_	_	27115.32 (64)	160.56	160.56	_
Department of Revenue	0.01 (1)	0.01 (1)	_	_	_	_	0.01 (1)	_	_	_

उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF INDUSTRY—	9495.00 (1)	9495.00 (1)	_	_	_	_	9495.00 (1)	**	**	_
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग MINISTRY OF MICRO, SMAL AND MEDIUM ENTERPRISES KHADI & VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION (KVIC) रसायन और उर्वरक मंत्रालय— MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS—	L	60.87 (1)	_	_	_	_	60.87 (1)	80.94	##80.94	_
औषध निर्माण विभाग Department of Pharmaceuticals	1152.60 (4)	1148.67 ^(4)	#3.93	_	_	_	1152.60 (4)	91.94	\$	_

Amount is due to interest accrued/exchange rate fluctuation.

पहले से जारी गारंटियों के सापेक्ष देयताओं में वर्ष के दौरान वृद्धि से संबंधित है।

Relates to increase during the year in the liabilities against Guarantees already issued.

2019—20 के दौरान कुल गारंटियों की संख्या 4 के बजाय 9 उल्लिखित थीं और इसें ही अब 2020.21 के दौरान लिया गया है।

Total No. of guarantees was mentioned as 9 instead of 4 during 2019-20 and the same has now been taken during 2020-21.

इंडियन ड्रग्स फार्माक्यूटिकल्स लि. द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान गारंटी शुल्क ∕ कमीशन का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि कंपनी रूग्ण है। No Guarantee fee/Commission was paid during 2020-21 by Indian Drugs Pharmaceuticals Ltd as the Company is Sick. भारत सरकार ने ₹ 9495.00 करोड़ रु. की एकल डिफाल्ट गारंटी (दिनांक 29.06.2020 की ₹ 500 करोड़ की दाल गारंटी के खाद्य में गारंटी में विलय के बाद) जिसे समय—समय पर नवीकृत किया जाता है। दिनांक 24.04.2020 के एमओसीएफ एंड पीडी सीए के पत्र सं. 22011/1/2017-एफ सी II/III के तहत नवीकृत की गई ₹9495.00 की गारंटी 31.03.2022 तक

^{**} The Govt of India has issued single default guarantee amounting to ₹9495.00 crore (after merger of pulses guarantee of ₹500 crore dated 29.06.2020 in food guarantee) which is being renewed from time to time. Guarantee of ₹9495.00 crore has been renewed vide MOCAF&PD CA letter No. 22011/1/2017-FC.II/III dated 24.04.2020 valid upto 31.03.2022.

स्क्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा ₹ 80.33 करोड के बकाए का भूगतान मंत्रालय के दिनांक 26.03.2021 के पत्र के तहत ही समायोजन के रूप में दिया गया था।

^{##} Out standing payment of ₹ 80.33 crore made by the Ministry of MSME by way of book adjustment vide Ministry's letter dated 26.03.2021.

* यह राशि उपार्जित ब्याज / विनिमय दर परिवर्तन के कारण है।

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा गारंटी शुल्क का अधित्याग कर दिया गया।

Guarantee fee has been waived off by the Cabinet Committee on Economic Affairs.

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के मांगी राशि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंत कमीश अथवा प	गन	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	के अलावा) Deletion during the year (Other	Invo duri the y	ng year	Outstanding at the end of the year	Guara Commi or Fe	ssion	Other material details
	year			than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11 रुपयों में) of rupees)

- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / ऋणों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां :-
- (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: —

रसायन और उर्वरक मंत्रालय— MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS—

रसायन एवं पेट्रो—रसायन विभाग Department of Chemical & Petrochemical

**17.00

*8.50

विद्युत मंत्रालय									ए	सएलआर बांड
MINISTRY OF POWER उपभोक्ता मामले, खाद्य और साव	7000.00 (2)	7000.00 (2)	_	_	_	_	7000.00 (2)	70.00	70.00 SI	
वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER	1011147									
AFFAIRS, FOOD AND	37000.00	29000.00	8000.00	_	_	_	37000.00	_	_	_
PUBLIC DISTRIBUTION	(5)	(4)	(1)				(5)			
रेल मंत्रालय										
MINISTRY OF RAILWAYS	6405.19 (3)	4155.67 (3)	2249.52	_	_	_	6405.19 (3)	54.27	54.27	_
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्र MINISTRY OF COMMUNICA										
दूरसंचार विभाग Department of	22512.07	7512.07	1,5000,00				22512.07	100.40	0165.40	
Telecommunications	22513.97 (9)	7513.97 (7)	15000.00 (2)	_	_	_	22513.97 (9)	100.40	@165.40	_

 [@] निदेशक (ए / सीएस-II) द्वारा सूचित किए अनुसार, वर्ष 2021-22 से संबंधित ₹94.80 करोड़ की राशि अग्रिम रूप में लेखाबद्ध हो गई। वर्ष 2020-21 से संबंधित ₹29.80 करोड़ वर्ष 2019-20 में लेखाबद्ध किए गए हैं।

 [@] As communicated by Director (A/cs-II), ₹94.80 crore pertaining to the year 2021-22 accounted in advance. ₹29.80 crore pertaining to 2020-21 were accounted for in 2019-20.

^{** ₹8.50} करोड़ रु. शुल्क तथा ₹8.50 करोड़ दंड के रुप में।

^{**} Fee ₹.8.50 crore and penalty ₹ 8.50 crore.

^{*} हिन्दुस्तान ऑरगेनिक केमिकल्स लि. (एचओसीएल) से प्राप्त गारंटी शुल्क। वर्ष 2013-14 के दौरान जारी की गई और वर्ष 2017-18 के दौान मोचित ₹250 करोड़ पर देय भारत सरकार गारंटी शुल्क। कंपनी ने प्राप्ति योग्य ₹8.50 करोड़ के दंडित गारंटी शुल्क को माफ करने का अनुरोध किया है।

^{*} Guarantee fee received from Hindustan Organic Chemicals Ltd. (HOCL). GOI guarantee fee payable on ₹250.00 crore guarantee issued during 2013-14 and redeemed during 2017-18. Guarantee fee ₹8.50 crore paid during the year 2020-21. Company has requested waiver of the penal guarantee fee of ₹8.50 crore receivable.

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-*जारी*

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के ⁻ मांगी राशि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंत कमीश अथवा प	गन	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other	Invol duri the y	ng /ear	Outstanding at the end of the year	Guaran Commi or Fo	ssion	Other material details
	year			than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										रुपयों में) of rupees)

- (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारंटियाँ :-
- (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:

नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्र	ालय									
MINISTRY OF	50386.85	42816.11	7570.74	15414.12	_	_	34972.73	1956.15	##2.50	_
CIVIL AVIATION AND	(51)	(44)	(7)	(12)			(39)			
TOURISM										
कोयला मंत्रालय										
MINISTRY OF COAL	653.60	635.96	**17.64	**36.46	_		617.14	5.61	5.61	_
	(3)	(3)					(3)			
विद्युत मंत्रालय										
MINISTRY OF POWER	42965.18	41156.76	**1808.42	**4034.04	_	_	38931.14	851.97	851.97	_
	(45)	(43)	(2)	(2)			(43)			

वित्तं मत्रालयं —	
MINISTRY OF FINANCE —	

आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	20192.15 (27)	13394.86 (26)	6797.29 (1)	2847.99 (3)	_	_	17344.16 (24)	137.70	\$160.12	_
वित्तीय सेवाएं विभाग Department of Financial Services	183433.75 (206)	167295.86 (189)	^^16137.89 (17)	* 11958.88 (4)	_	_	171474.87 (202)	37.33	37.33	_
उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF INDUSTRY	Y—									
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम खादी और ग्रामोद्योग आयोग	। मंत्रालय									
MINISTRY OF MICRO,										
SMALL & MEDIUM ENT KHADI & VILLAGE INDUSTRIES COMMISSI	(3)	53.42 (3)	#2.07	3.30	_	_	52.19 (3)	0.22	0.22	_

[#] विनिमय हानियों के कारण ₹1.69 करोड़ रु. को शामिल करके।

[#] Including ₹1.69 crore on account of Exchange losses.

यह राशि गारंटियों / पुनः अदायगी / विनिमय दर परिवर्तन के लोपन के कारण है।

^{*} Amount is due to deletion of Guarantees/repayment/exchange rate fluctuation.

^{**} विनिमय दर परिवर्तन शामिल है।

^{**} Includes exchange rate variation.

^{\$}प्राप्ति योग्य तथा प्राप्त गारंटी शुल्क के बीच अंतर पूर्णांकन किए जाने तथा एमएमआरडीए द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 की ₹19.90 करोड़ का गारंटी शुल्क का भुगतान किया जाना है, जोकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय आवास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के ₹3.21 गारंटी शुल्क को वित्तीय वर्ष 2019-20 में ही तथ वित्तीय वर्ष 2021-22 के ₹2.49 गारंटी शुल्क को वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही अग्रिम में अदा किया है।

^{\$} Difference between Guarantee Fee receivable and received is due to rounding off and Guarantee fee of ₹ 19.90 crore paid by MMRDA pertaining to FY 2019-20 which is received in the FY 2020-21. National Housing Bank (NHB) has paid ₹ 3.21 crore as guarantee fee in advance pertaining to FY 2020-21 in the year 2019-20 and paid ₹ 2.49 crore as guarantee fee in the year 2020-21 in advance pertaining to F.Y 2021-22.

^{##} नागरिक विमानन मंत्रालय के प्रधान लेखाधिकारी के दिनांक 17/06/2021 के पत्र सं. पीआरएओ / टीसीए / एसीटीएस-2 / एफए / 2021-22/238-240 के अनुसार एयर इंडिया लि. ने नकदी की भारी कमी के चलते गारंटी शुल्क अदा नहीं किया है।

^{4#} As per Pr. AO, M/O Civil Aviation letter No. PrAO/TCA/ACTS-2/FA/2021-22/238-240 dated 17/06/2021 Air India Ltd. has not paid Guarantee fee due to severe Liquidity Crunch.

[^] यह राशि गारंटियों / आहरण द्वारा कमी / विनिमय दर परिवर्तन को जोड़े जाने की वजह से है।

^{^^} Amount is due to addition of Guarantees/draw down/exchange rate fluctuation.

सं. 4–संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां–*जारी*

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम Name of Ministry	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि Maximum Amount Guaranteed	वर्ष के आरंभ में बकाया Outstanding at the beginning of	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा) Deletion during the year	वर्ष के मांगी राहि Invoi duri the y	गई श ked ng	वर्ष के अंत में बकाया Outstand- ing at the end of	गारंट कमीश अथवा प Guarai Commis or Fo	ान कीस ntee ssion	अन्य तात्विक ब्योरे Other material details
	during the year	the year		(Other than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	the year	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	, .	11 रुपयों में) of rupees)
सड़क परिवहन और राजमा MINISTRY OF ROAD										
TRANSPORT AND HIGH नवीन और नवीकरणीय ऊज MINISTRY OF NEW ANI	(1) र्गा मंत्रालय	550.69 (1)	_	94.66	_	_	456.03 (1)	1.38	1.38	_
RENEWABLE ENERGY इस्पात मंत्रालय	11785.82 (17)	##11208.57 *(16)	577.25 (1)	732.64	_	_	11053.18 (17)	195.98	195.98	_
MINISTRY OF STEEL	356.89 (2)	356.89 (2)	_	^13.50	_	_	343.39 (2)	0.94	0.94	_

वस्त्र मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES— वाणिज्य विभाग DEPARTMENT OF COMMERCE	1054.00 (1)	1054.00 (1)	_	_	_	_	1054.00 (1)	2.34	#3.39	_
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालर MINISTRY OF HOUSING AN URBAN AFFAIRS ^^		1234.22 (4)	13.46	192.67	_	_	1055.01 (4)	13.74	13.74	_
विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS	68989.96 (8)	67954.64 (8)	^1035.32	_	_	_	68989.96 (8)	**	**	_

[^] विनिमय दर में बदलाव के कारण।

[^] Due to exchange rate variation.

^{**} सरकार द्वारा एक्सिस बैंक को विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों को दिए गए लाइंस ऑफ क्रेडिट को पूरा करने के लिए मुहैया कराई गई गारंटी, गारंटियों की परिसीमा में नहीं आती है जैसाकि राजपत्र अधिसूचना सं. एस.ओ.2979 (ई) दिनांक 20-12-2010 में उल्लिखित है और इसीलिए कोई गारंटी शुल्क / कमीशन मुहैया नहीं कराया गया।

^{**} Guarantee provided by the Government to Exim Bank for fulfilment of Lines of Credit extended to foreign countries by the MEA does not fall under the purview of guarantees as mentioned in the Gazette Notification no. S.O.2979(E) dated 20-12-2010 and hence no guarantee fee/commission is provided.

^{# 2020-21} में प्राप्ति योग्य ₹ 2.34 करोड़ की राशि प्राप्त हो गई और 2019-20 में लेखाबद की गई और 2021-22 में प्राप्ति योग्य ₹ 3.39 करोड़ 2020-21 में प्राप्त हो गए।

^{# ₹2.34} Crore guarantee fee receivable in 2020-21 received and accounted in 2019-20 and ₹3.39 Crore is Guarantee Fee receivable in 2021-22 received in 2020-21.

^{##} एसबीआई (₹ 3035.10 करोड़) तथा पीएनबी (₹ 162.50 करोड़) की गारंटियां वित्तीय वर्ष 2019-20 में नहीं दर्शाई गई हैं और इन्हें वित्तीय वर्ष 2020-21 में शामिल किया गया है।

^{##} Guarantees pertaining to SBI (₹3035.10 crore) and PNB (₹162.50 crore) were not shown during FY 2019-20 and the same is being included this FY 2020-21.

^{*} वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान गारंटियों की कुल संख्या 16 अंदद के स्थान पर 13 अदद दर्शाई गई है और अब इन्हें 2020-21 में लिया गया है।

^{*} Total No. of guarantees was mentioned as 13 Nos instead of 16 Nos during the FY 2019-20 and the same has now been taken during 2020-21.

[^] आवासन और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय का विलय करके आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय बनाया गया है। अतः इन मंत्रालयों की राशियों को जोड़ दिया गया है।

^{^^} Due to merger of Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (HUPA) and Ministry of Urban Development as Ministry of Housing and Urban Affairs. Hence figures of these ministries are clubbed.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के मांगी रागि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंट कमीष अथवा प	ग न	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than	Invo duri the y उन्मोचित	ing	Outstanding at the end of the year	Guarai Commis or Fe	ssion	Other material details
				invoked during the year)	Discharged	_		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	, .	11 रुपयों में) of rupees)

- (iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों / दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों / निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के संबंध में बैंकों को दी गई प्रति–गारंटियाँ :-
- (iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:—

— शून्य / NIL —

- (v) कम्पनियों, निगमों द्वारा देय राशियों और देय राशियों / भाड़ा प्रभारों के समय पर भुगतान हेतु रेलवे / राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई गारंटियां:-
- (v) Guarantees given to Railways/State Electricity Boards for due and punctual payment of dues/freight charges by Companies, Corporations: —

— शून्य / NIL —

- (vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए गए ठेकों / परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:--
- (vi) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: —

— शून्य / NIL —

- (vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेकों / परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां :--
- (vii) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to foreign companies in foreign countries:-

—शून्य / NIL —

- (viii) कोई अन्य –
- (viii) Any Other: —

— शून्य / NIL —

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-I)

GUARANTEESGIVENBY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—
(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2020-21:-

मंत्रालय / विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के	वर्ष के व मांगी राधि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कर्म अथवा र्फ	
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	अलावा) Deletion during the year (Other than invoked	Invoked the y उन्मोचित	C	Outstanding at the end of the year	Guarant Commiss or Fee	sion e
	year			during the year)	Discharged	Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	6	7	8		10 (करोड़ रुपयों में) rore of rupees)

क्षेत्र — (i) — विद्युत Sector - (i) - Power

वर्ग—(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए लिए दी गई गारंटियां:—

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER 7000.00 7000.00 — — — 7000.00 70.00 70.00 (2) (2)

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभारों आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class – (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:–

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	42965.18 (45)	41156.76 (43)	1808.42 (2)	4034.04 (2)	_	_	38931.14 (43)	851.97	851.97
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्राव MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY	लय 11785.82 (17)	11208.57 (16)	577.25 (1)	732.64	_	_	11053.18 (17)	195.98	195.98
कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL	653.60 (3)	635.96 (3)	17.64	36.46	_	_	617.14 (3)	5.61	5.61

क्षेत्र - (ii) - सहकारी समिति

Sector - (ii) - Co-operative

वर्ग—(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेत् दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय —
MINISTRY OF
AGRICULTURE AND FAMERS WELFARE —
कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग
Department of
Agriculture, Co-operation and 39000.00 — — — — 39000.00 — — — —
Farmers Welfare (4) (4) (4)

क्षेत्र - (iii) - सिंचाई

Sector - (iii) - Irrigation

वर्ग—(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पंजी प्रदान करने हेत् दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-I)-जारी

GUARANTEESGIVENBY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:-

(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2020-21:

()			3	0 ,			•		
मंत्रालय / विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत	वर्ष के आरंभ	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष	वर्ष के र मांगी	-	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कर्म अथवा प्र	
	अधिकतम राशि	में बकाया	परिवर्धन	के दौरान मांगी गई राशि के	राइ	ग			
				अलावा)					
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed	Outstanding at the beginning of	Additions during the year	Deletion during the year (Other	Invoked the y	•	Outstanding at the end of the year	Guaran Commiss or Fe	sion
	during the	the year	your	than invoked	उन्मोचित	अननुमोचित	or the year		
	year			during the	Discharged	Not		प्राप्य	प्राप्त की गई
				year)		Discharged		Receivable	Received
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									(करोड़ रुपयों में)
								(In c	crore of rupees)

वर्ग — (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभारों आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class – (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:–

वित्त मंत्रालय
MINISTRY OF FINANCE
आर्थिक कार्य विभाग
Department of Economic Affairs 92.17 92.17 — 4.98 — — 87.19 1.08 1.08

क्षेत्र — (iv) — सड़क और परिवहन

Sector - (iv) - Road and Transport

वर्ग—(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:—

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions:-

रेल मंत्रालय									
MINISTRY OF RAILWAYS	6405.19	4155.67	2249.52	_	_	_	6405.19	54.27	54.27
	(3)	(3)					(3)		

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class - (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION	50386.85 (51)	42816.11 (44)	7570.74 (7)	15414.12 (12)	_	_	34972.73 (39)	1956.15	2.50
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF ROAD TRANSPOR AND HIGHWAYS	T 550.69 (1)	550.69 (1)	_	94.66	_	_	456.03 (1)	1.38	1.38
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE									
आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	58.27 (1)	57.37 (1)	0.90	7.56	_	_	50.71 (1)	_	_
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS	1005.84 (2)	992.38 (2)	13.46	100.09	_	_	905.75 (2)	11.91	11.91

क्षेत्र — (v) — राज्य वित्तीय निगम Sector - (v) - State Financial Corporations

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-I)-जारी

GUARANTEESGIVENBY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:-

(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2020-21:—

मंत्रालय / विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के व मांगी राष्ट्रि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कर्म अथवा र्फ	
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked	Invoked the y उन्मोचित	•	Outstanding at the end of the year	Guaran Commiss or Fee	sion
	year	•		during the year)	Discharged	Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	6	7	8		10 (करोड़ रुपयों में) crore of rupees)

क्षेत्र — (vi) — शहरी विकास और आवास Sector - (vi) - Urban Development and Housing

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class - (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS	241.84 (2)	241.84 (2)	_	92.58	_	_	149.26 (2)	1.83	1.83
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	150.66 (1)	150.66 (1)	_	70.30	_	_	80.36 (1)	0.72	0.72

क्षेत्र — (vii) — अन्य अवसंरचना Sector - (vii) - Other Infrastructure

वर्ग — (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class-(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs 778.65 777.31 1.34 91.06 — — 687.59 7.63 7.65 (6) (6)

क्षेत्र - (viii) - कोई अन्य

Sector - (viii) - Any Other

वर्ग—(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय— MINISTRY OF AGRICULTURE AND FAMERS WELFARE —

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग

Department of

Agriculture, Co-operation and 1512.83 1512.83 — 0.83 — 1512.00 — Farmers Welfare (2) (2) (2)

गारंटी कमीशन

वित्त लेखे, संघ सरकार FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस–I)—*जारी*GUARANTEESGIVENBY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.
(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—

	` '	-		•	Union Government dur	ing the year 2020-21 :—
मंत्रालय / विभाग का नाम	वर्ष के दौरान	वर्ष के	वर्ष के	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत
	गारंटीकृत	आरंभ	दौरान	विलोपन (वर्ष	मांगी गई	में बकाया
	अधिकतम	में बकाया	परिवर्धन	के दौरान	राशि	

	गारंटीकृत अधिकतम राशि	आरंभ में बकाया	दौरान परिवर्धन	विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि वे	मांगी राधि रे	•	में बकाया	अथवा प	गेस
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed	Outstanding at the beginning of	Additions during the year	अलावा) Deletion during the year (Other	Invoked the y	rear	Outstanding at the end of the year	Guaran Commis or Fe	sion
	during the year	the year		than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	6	7	8		10 (करोड़ रुपयों में)
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	9495.00 (1)	9495.00 (1)	_	_	_	. –	9495.00 (1)	—	erore of rupees)
उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF INDUSTRY सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्राल खादी और ग्रामोद्योग आयोग MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, KHADI & VILLAGE INDUSTRIE COMMISSION (KVIC)		60.87 (1)	_	_	_		60.87 (1)	80.94	80.94
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS औषध निर्माण विभाग									
Department of Pharmaceuticals	1152.60 (4)	1148.67 (4)	3.93	_	_	_	1152.60 (4)	91.94	_

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE									
वित्तीय सेवाएँ विभाग Department of Financial Services	27777.44	23480.00	4297.44	662.12	_	_	27115.32	160.56	160.56
	(64)	(41)	(23)				(64)		
राजस्व विभाग Department of Revenue	0.01	0.01	_	_	_	_	0.01	_	_
-	(1)	(1)					(1)		

वर्ग—(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जीं, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:—

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	37000.00 (5)	29000.00 (4)	8000.00 (1)	_	_	_	37000.00 (5)	_	_
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालन MINISTRY OF COMMUNICAT AND INFORMATION TECHNO दूरसंचार विभाग Department of Telecommunications	TONS	7513.97 (7)	15000.00 (2)	_	_	_	22513.97 (9)	100.40	165.40
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS									
रसायन एवं पेट्रो—रसायन विभाग Department of Chemical & Petrochemical	_	_	- –	_	_	_	_	17.00	8.50

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस—I)—*जारी*

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—
(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2020-21:-

मंत्रालय / विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के	वर्ष के न मांगी राहि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कर्म अथवा र्फ	
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	अलावा) Deletion during the year (Other than invoked	Invoked the y उन्मोचित	C	Outstanding at the end of the year	Guarant Commiss or Fee	sion
1	year	3	4	during the year)	Discharged 6	Not Discharged	8	प्राप्य Receivable 9	प्राप्त की गई Received 10
1	2	3	4	3	U	1	8	((करोड़ रुपयों में) erore of rupees)

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class-(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:

इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	356.89 (2)	356.89 (2)	_	13.50	_	_	343.39 (2)	0.94	0.94
उद्योग मंत्रालय									
MINISTRY OF INDUSTRY									
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय,									
खादी और ग्रामोद्योग आयोग									
MINISTRY OF MICRO, SMALL	55.49	53.42	2.07	3.30	_		52.19	0.22	0.22
AND MEDIUM ENTERPRISES,	(3)	(3)					(3)		
KHADI & VILLAGE INDUSTRIES									
COMMISSION (KVIC)									

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग MINISTRY OF FINANCE									
Department of Economic Affairs	19112.40	12317.35	6795.05	2674.09	_	_	16438.31	128.27	150.67
•	(18)	(17)	(1)	(3)			(15)		
वित्तीय सेवाएँ विभाग									
Department of Financial Services	183433.75	167295.86	16137.89	11958.88	_	_	171474.87	37.33	37.33
	(206)	(189)	(17)	(4)			(202)		
वस्त्र मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES वाणिज्य विभाग Department of Commerce	1054.00 (1)	1054.00 (1)	_	_	_	_	1054.00 (1)	2.34	3.39
विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS	68989.96 (8)	67954.64 (8)	1035.32	_	_	_	68989.96 (8)	_	_

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-I)-*जारी*

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)-Contd.
(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण :--

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2020-21: -

भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम,यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।
Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Industrial of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

providing working ca	ipital in respect of	companies, corporati	ons, co-operati	ve societies an	id co-operative bar	ıks.	_	-	
मंत्रालय / विभाग का नाम	सीमा, यदि	क्या गारंटी मोचन	गारंटी	गारंटी	वित्तीय	स्वतः नामे	क्या सरकार के	सरकार में	अन्य
	कोई नियत	अथवा आरक्षित	मोचन अथवा	मोचन अथवा	विवरणियों	डाले जाने की	बजट दस्तावेजों	गारंटियों के	महत्वपूर्ण
	की गई है	निधि मौजूद है और	आरक्षित	आरक्षित	की तारीख के	व्यवस्था और	में गारंटियों	लिए ट्रैकिंग	ब्योरे
	जिसके भीतर	वर्ष की शुरुआत में	निधि में	निधि में	अनुसार भारतीय	संरचनात्मक	के ब्योरे	यूनिट अथवा	
	सरकार गारंटी	निधि में उपलब्ध	से की गई	वर्ष के अंत	रुपयों के रूप	भुगतान व्यवस्था,	शामिल हैं	नामोद्दिष्ट	
	दे सकती है	शेष राशि के	अदायगियां	में शेष राशि	में मौजूद बाह्य	यदि कोई हो,		प्राधिकारियों	
		प्रकटीकरण के			विदेशी मुद्रा	तो उससे		के ब्योरे	
		साथ इसका ब्योरा			गारंटियों के ब्योरे	संबंधित ब्योरे			
Name of the Ministry/	Limit, if any	Whether guarantee	Any	Balance at	Details of	Details	Whether	Details of	Other
Department	fixed within which the	Redemption or Reserve Fund	payments made	the end of the year	subsisting external foreign	concerning Automatic	the budget documents	the tracking unit or	material details
	Government	exists and its	out of	made in	currency	debit	of the	designated	actans
	may give	details including	guarantee	guarantee	guarantees in	Mechanism	Government	authority for	
	guarantee	disclosure of balance available	redemption or Reserve	redemption or Reserve	terms of Indian rupees on the	and structured	contain details of	Guarantees in the	
		in the fund at	fund	Fund	date of	payment	Guarantees	Government	
		the beginning			Financial	arrangements,			
	()	of the year	(14)		Statments	if any	(_ _)	/= 1\	(7.1)
	(ক)		(ख)		(ग)	(ঘ)	(ভ)	(ਹ)	(ঘ)
	(a)		(b)		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
								, .	रुपयों में)
								(In crore of	of rupees)
कृषि और किसान कल्याण	मंत्रालय - #	# शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्यं	हाँ	एमपीएस अनुभाग,	शून्य
कृषि, सहकारिता और								कृषि, सहकारिता	
किसान कल्याण विभाग								एवं किसान कल्याण	
								वेभाग का सहकारिता	
								प्रभाग, नई दिल्ली	
MINISTRY OF AGRICU	LTURE AND							3411, 12 14ccii	
FARMERS WELFARE-	#	į Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Yes	MPS Section,	Nil
Department of Agriculture,	,							partment of Agricult	
Co-operation and Farmers	Welfare						Co-operati	ion and Farmers We	
								Division of DA New Delhi	AC,
								New Dellii	

वित्तं मत्रालय —	
MINISTRY OF I	FINANCE

राजस्व विभाग Department of Revenue	#	शून्य Nil	_						
वित्तीय सेवाएं विभाग		नहीं	नहीं	लागू नहीं	27115.32	लागू नहीं	हाँ	संयुक्त सचिव (बजट) बजट प्रभाग, डीईए	
Department of Financial Services	#	No	No	N.A.	27115.32	NA	Yes	Joint Secretary (Budget), Budget Division, DEA	_
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	#	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	हाँ	अवर सचिव (एफसीआई), कृषि भवन, नई दिल्ली	_
MINISTRY OF CONSUMER, AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	#	No	NA	NA	NA	No	Yes	US (FCI), Krishi Bhawan,	_
उद्योग मंत्रालय Ministry of Industry									
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग	#	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	केवीआईसी (एमएसएमई)	शून्य
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES Khadi & Village Industries Commission (KVIC)	#	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	KVIC MSME	Nil
रसायन और उर्वरक मंत्रालय— MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS-									
औषध निर्माण विभाग Department of Pharmaceuticals	#	नहीं No	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	हाँ Yes	निदेशक (पीएसयू) अ Dir (PSU)	ाईडीपीएल IDPL

[#] वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा गारंटियों के मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो। # Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस—1)—*जारी* GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd. (ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरणः—

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2020-21: -

मंत्रालय / विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे	अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statments	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(ক)	of the year	(ख)		(ग)	(ঘ)	(ङ)	(च)	(छ)
	(a)		(b)		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
								(करोड़	रुपयों में)
								(In crore of	of rupees)

(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:—

(ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: —

रसायन और उर्वरक मंत्रालय— MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS-

रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	#	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	हाँ नि	देशक (सीएच-II)	
Department of Chemical &	#	No	Nil	Nil	Nil	Nil	Yes	Dir (CH-II)	_
Petrochemical									

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	#	शून्य Nil	नहीं No	शून्य Nil	7000.00 7000.00	शून्य Nil	हाँ Yes	विद्युत मंत्रालय Ministry of Power	शून्य Nil
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	#	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हॉ	हॉ	अवर सचिव (एफसीआई) एवं अवर सचिव (सीडब्ल्यूसी)	_
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	#	No	NA	NA	NA	Yes	Yes	US (FCI) and US (CWC)	_
रेल मंत्रालय	#	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	<u> </u>	शून्य	लागू नहीं
MINISTRY OF RAILWAYS	#	NA	NA	NA	NA	NA	Yes	NIL	NA
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग	#	विभाग द्वारा ऐसी व	कोई निधि नहीं	बनाई गई है	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता	हाँ	उप महानिदेशक (एसयू) के अधीन कारखाना अनुभाग, दूरसंचार विभाग, संचार भवन	_
MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY Department of Telecommunications	#	No su	uch fund create	d by the Deptt	Does not arise	Does not arise	Yes	Factory Section under Dy. Dir. General (SU), DoT, Sanchar Bhawan	_

[#] वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो। # Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस—I)—*जारी*

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)-Contd.

(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:—

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2020-21: -

मंत्रालय / विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में भौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे	अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statments	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(ক)	or the year	(ख)		(ग)	(ঘ)	(ভ)	(च)	(छ)
	(a)		(b)		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
								(करोड़	रुपयों में)
								(In crore of	of rupees)

- (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारंटियां:—
- (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय	#	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1060.36	हाँ	हाँ	वित्त-। अनुभाग,	_
							राज	ोव गांधी भवन, नागर	
								विमानन मंत्रालय	
MINISTRY OF CIVIL AVIATION	#	No	NA	NA	1060.36	Yes	Yes	Finance-I	_
AND TOURISM								Section, Rajiv	
								Gandhi Bhawan,	
								M/o Civil Aviation	

कोयला मंत्रालय	#	शून्य	शून्य	शून्य	617.14	शून्य	हाँ	निदेशक (वित्त) कोयला मंत्रालय	_
MINISTRY OF COAL	#	Nil	Nil	Nil	617.14	Nil	Yes	Director (Finance) M/o Coal	_
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	#	शून्य	शून्य	शून्य	45603	शून्य	हाँ	महानिदेशक (सड़क परिवहन और	शून्य
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS	#	Nil	Nil	Nil	45603	Nil	Yes	राजमार्ग), नई दिल्ली DG (RTH), New Delhi	Nil
विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	#	शून्य Nil	नहीं No	शून्य Nil	38931.14 38931.14	शून्य Nil	हाँ Yes	विद्युत मंत्रालय Ministry of Power	शून्य Nil
वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग	#	हाँ 5229.96	नहीं	6829.96	17344.16	लागू नहीं	हाँ	संयुक्त सचिव(बजट) बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग	_
MINISTRY OF FINANCE Department of Economic Affairs	#	Yes 5229.96	No	6829.96	17344.16	NA	Yes	Joint Secretary (Budget), Budget Division, DEA	_
वित्तीय सेवाएं विभाग		शून्य	नहीं	शून्य	171474.87	लागू नहीं	हाँ	संयुक्त सचिव (बजट) बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग	
Department of Financial Services	#	Nil	No	Nil	171474.87	N.A.	Yes	Joint Secretary (Budget), Budget Division, DEA	_
उद्योग मंत्रालय									
Ministry of Industry सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग	#	शून्य	शून्य	शून्य	52.19	शून्य	हाँ	केवीआईसी एमएसएमई	शून्य
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES Khadi & Village Industries Commission (KVIC)	#	Nil	Nil	Nil	52.19	Nil	No	NSIC MSME	Nil

71

[#] वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो। # Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस—I)—जारी
GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.
(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:—
(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2020-21: -

मंत्रालय / विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं		अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statments	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(ক)	,	(ख)		(ग)	(ঘ)	(ङ)	(च)	(छ)
	(a)		(b)		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
								(करोड़	रुपयों में)
								(In crore o	
नवीन और नवीकरणीय	#	# नहीं	नही	नहीं	11053.18	नहीं	हाँ	डा. पंकज सक्सेना	_
ऊर्जा मंत्रालय								वैज्ञानिक 'च'	
								एमएनआरई, लोदी रोड,नई दिल्ली-03	
MINISTRY OF NEW AND	1	⊭ No	No	No	11053.18	No	Yes	राड,नइ । दल्ला-03 Dr. Pankaj Saxena	
RENEWABLE ENERGY	,	, 100	140	140	11000.10	110	163	Secientist 'F', MNRE, Lodi Road, New Delhi-03	

इस्पात मंत्रालय	#	शून्य	शून्य	शून्य	343.39	नहीं	हाँ	सार्वजनिक क्षेत्र के	_
MINISTRY OF STEEL	#	Nil	Nil	Nil	343.39	No	Yes	उपक्रम का परियोजना अनुभाग Project Section of the concerned PSU in the Ministry	_
वाणिज्य विभाग	#	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	नहीं	हाँ	अवर सचिव (आईएफडी वाणिज्य विभाग)	_
Department of Commerce	#	No	No	No	No	NIL	Yes	नई दिल्ली US (IFD Department of Commerce) New Delhi.	-
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	#	शून्य	नहीं	_	1055.01	लागू नहीं	हाँ	दिल्ली प्रभाग	_
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS ##	#	Nil	No	_	1055.01	NA	Yes	(एनसीआरपीबी) AA(HUDCO) & Delhi Division (NCRPB)	_
विदेश मंत्रालय	#	नहीं	शून्य	लागू नहीं	68989.96	शून्य	नहीं	डीपीए—I, विदेश मंत्रालय	_
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS	#	No	Nil	NA	68989.96	Nil	No	DPA-I, MEA	_

[#] वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो।

[#] Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

^{##} आवासन और शहरी गरीबी उन्मूलन (एचयूपीए) मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय का विलय होने पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय बनाए जाने के कारण। अतः इन मंत्रालयों की राशियों को इकट्ठा कर दिया गया है।

^{##} Due to merger of Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (HUPA) and Ministry of Urban Development as Ministry of Housing and Urban Affairs. Hence figures of these ministries are clubbed.

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस—I)—समाप्त GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Concld. (ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:— (b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2020-21: -

मंत्रालय / विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो,	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों	अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
		प्रकटीकरण के			विदेशी मुद्रा	तो उससे		के ब्योरे	
		साथ इसका ब्योरा			गारंटियों के ब्योरे	संबंधित ब्योरे			
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statments	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(ক)		(ख)		(ग)	(ঘ)	(ভ)	(च)	(छ)
	(a)		(b)		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
								(करोड़ रुपयों में)	
								(In crore of	of rupees)

⁽iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों / दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों / निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के सम्बन्ध में बैंकों को दी गई प्रति—गारंटियां: —

⁽iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:—

(v)	कम्पनियों निगमों द्वारा देय राष्ट्रि	शयों और देय राशियों /	भाडा प्रभारों के समय पर भगत	ान हेत रेलवे / राज्य [†]	वेद्युत बोर्डी को दी गई गारंटियां:-
(' '		(1-11 - 11 (1 - 1 (1 (1 -1)			1911 11 11 12 11 10 11

(v) Guarantees given to Railways/State Electricity Boards for due and punctual payment of dues/freight charges by Companies, Corporations: —

—शून्य– -Nil-

(vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए गए ठेकों / परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां :--

(vi) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: —

—शून्य— -Nil-

(vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेकों / परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां: -

(vii) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to foreign companies in foreign countries: —

—शून्य— -Nil-

(viii) कोई अन्य :-

(viii) Any Other: —

–शून्य–

-Nil-